जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्‌यालय
नई दिल्ली

प्रवेश नीति और प्रक्रिया
2025-2026

प्रवेश नीति

2025-2026

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम 1966, (1966 का 53) के तहत 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अधिनियम की पहली अनुसूची में परिभाषित इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

"विश्वविद्यालय उन सिद्धांतों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवनकाल में कार्य किया था, जिनमें राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक जीवन शैली, अंतरराष्ट्रीय समझ और समाज की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल हैं।"

इस उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) भारत की समग्र संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारत की भाषाओं, कलाओं और संस्कृति के अध्ययन और विकास के लिए आवश्यक विभागों या संस्थाओं की स्थापना करना;

(ii) सम्पूर्ण भारत से छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय में शामिल होने और इसके शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष उपाय करना;

(iii) छात्रों और शिक्षकों में देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना और उन्हें ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करना;

(iv) विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान करना;

(v) विश्वविद्यालय में अंतर्विषयी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय करना;

(vi) ऐसे विभाग या संस्थाएं स्थापित करना जो पाश्चात्य देशों की भाषाओं, साहित्य और जीवन के अध्ययन के लिए आवश्यक हों ताकि विद्यार्थियों में वैश्विक परिप्रेक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित हो सके;

(vii) अन्य देशों के छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और जीवन में भाग लेने के लिए सुविधाएं प्रदान करना।"

उपर्युक्त के आलोक में, विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण ऐसी नीतियों और पाठ्यक्रमों को विकसित करना रहा है जिससे कि देश में पहले से मौजूद सुविधाओं का केवल मात्रात्मक विस्तार न हो अपितु जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय संसाधनों में एक विशिष्ट योगदान दे सके। विश्वविद्यालय ने कुछ प्रमुख शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की पहचान की है और उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो राष्ट्रीय प्रगति और विकास के लिए भी प्रासंगिक हैं।

विश्वविद्यालय की बुनियादी शैक्षणिक इकाइयाँ एकल अनुशासनिक विभाग नहीं हैं, अपितु अंतर्विषयी अध्ययन संस्थान हैं। एक विद्यालय को उन विषयों के विद्वानों के समुदाय के रूप में देखा गया है जो अपने विषय-वस्तु और कार्यप्रणाली के साथ-साथ समस्या क्षेत्रों के संदर्भ में एक-दूसरे से मूल रूप से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक संस्थान कई केंद्रों से बना होगा जो संस्थान के व्यापक ढांचे के भीतर काम करने वाले कार्य बल (टास्क फोर्स) का गठन करते हैं। एक केंद्र को विद्वानों के समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे उनका विषय कोई भी हो, जो शोध और शिक्षण के स्पष्ट रूप से पहचाने गए अंतर्विषयी पाठ्यक्रमों में लगे हुए हैं।

जब तक प्रश्न-पत्र में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, जेएनयू अखिल भारतीय विश्वविद्यालय होने के नाते, सभी अध्ययन पाठ्यक्रमों (भाषाओं को छोड़कर) के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

तथापि, ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा हेतु, जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं तथा जिनकी स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की माध्यम भाषा अंग्रेज़ी नहीं रही है, विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी भाषा के उपचारात्मक पाठ्यक्रमों की अंतर्निहित व्यवस्था उपलब्ध है ताकि वे अंग्रेज़ी में अपनी आधारभूत क्षमता को सुदृढ़ कर सकें तथा अपने शैक्षिक एवं शोध पाठ्यक्रमों को समुचित रूप से पूरा कर सकें।

विश्वविद्यालय में कुछ विशेष अध्ययन केन्द्रों के अलावा, अंतर्विषयी शोध और शिक्षण के निम्नलिखित संस्थान शामिल हैं:

(i) अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
(ii) भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान
(iii) सामाजिक विज्ञान संस्थान
(iv) कला और सौंदर्यशास्त्र संस्थान
(v) जीवन विज्ञान संस्थान
(vi) पर्यावरण विज्ञान संस्थान
(vii) कंप्यूटर और सिस्टम्ज विज्ञान संस्थान
(viii) भौतिक विज्ञान संस्थान
(ix) कम्प्यूटेशनल और समेकित विज्ञान संस्थान
(x) जैव प्रौद्योगिकी संस्थान
(xi) संस्कृत और प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान
(xii) इंजीनियरी संस्थान
(xiii) अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन तथा उद्यमिता संस्थान
(xiv) ई-लर्निंग विशेष केंद्र
(xv) आणविक चिकित्सा विशेष केंद्र
(xvi) विधि एवं अभिशासन अध्ययन विशेष केंद्र
(xvii) नैनो विज्ञान विशेष केंद्र
(xviii) आपदा शोध विशेष केंद्र

(xix) उत्तर पूर्व भारत अध्ययन विशेष केंद्र

(xx) राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विशेष केंद्र

(xxi) तमिल अध्ययन विशेष केंद्र

नामांकन से संबंधित मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि देश के सभी भागों से छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकें ताकि यह सही मायने में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन सके।

विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होती है :

(i) उच्च गुणवत्ता की शैक्षिक योग्यता और क्षमता वाले विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना ताकि इसके पूर्व विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सार्थक ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि हमारे समाज के डेप्रिविएशन और सामाजिक रूप से विकलांग वर्गों से पर्याप्त संख्या में छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले; तथा

(iii) देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों से छात्रों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय चरित्र को बनाए रखना।

अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के आलोक में, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि भारत के बाहर से, विशेषकर विकासशील देशों से, छात्र पर्याप्त संख्या में विश्वविद्यालय में प्रवेश लें।

सीटों की संख्या सीमित होने के कारण प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। योग्यता सूची विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी।

कोई भी उम्मीदवार यदि पहले से ही इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययन के किसी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है तो इस विश्वविद्यालय में किसी भी पूर्णकालिक अध्ययन पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। अकादमिक परिषद की 161 वीं (ए) **बैठक के प्रस्ताव संख्या** 10 **के अनुसार**, **जेएनयू किसी भी पंजीकृत छात्र को राष्ट्रीय शैक्षिक नीति** (**एनईपी**) - 2020 **के अनुसार ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत किसी अन्य पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा।**

पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुपालन में जेएनयू पीएच.डी. अध्यादेश 2022 के द्वारा नियंत्रित होगा।

1 प्रवेश सूचना:

यूजी/सीओपी, पीजी और पीएचडी स्तर पर अध्ययन के विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश घोषणा, भावी उम्मीदवारों की जानकारी के लिए जेएनयू/एनटीए द्वारा उपयुक्त मीडिया में अलग से प्रकाशित की जाती है।

उम्मीदवारों पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा: -

पीएच.डी., एम.टेक., एमपीएच, पीजीडी, एम.ए., एम.एस.सी., एम.सी.ए., एमबीए, बी.टेक., बीए (ऑनर्स) विदेशी भाषाओं में प्रथम वर्ष, बी.एससी.-एम.एससी. एकीकृत पाठ्यक्रम और अंशकालिक पाठ्यक्रम।

2 कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी):

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों (यूजी, पीजी, सीओपी और एडीओपी) में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाएँ (सीयूईटी) पूरे भारत में स्थित केंद्रों पर आयोजित की जाती हैं। इससे विश्वविद्यालय को व्यापक क्षेत्रीय पहुँच प्राप्त होती है और अधिक संख्या में उम्मीदवारों को जेएनयू में प्रवेश प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

3. मौखिक परीक्षा:

पीएच.डी. को छोड़कर किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) आयोजित नहीं की जाती है। उम्मीदवारों का यूजी/पीजी/सीओपी/एडीओपी में प्रवेश उनके कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में प्रदर्शन तथा विश्वविद्यालय की स्वीकृत प्रवेश नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार उनके प्राप्तांक में जोड़े गए डेप्रिविएशन अंक के आधार पर मेरिट के अनुसार किया जाता है।

यूजीसी/सीएसआईआर नेट परीक्षा तथा गेट परीक्षा के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश:

पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को यूजीसी/सीएसआईआर नेट परीक्षा तथा गेट परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। यह ध्यातव्य है कि केवल यूजीसी/सीएसआईआर नेट परीक्षा या गेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता। मौखिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन बिंदु संख्या 3.4 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार, जून 2024 से यूजीसी/सीएसआईआर नेट परीक्षा के नेट परसेंटाइल तथा वैध गेट स्कोर के आधार पर किया जाएगा।

भाषा इंडोनेशिया, मंगोलियन, उज़्बेक, पाली और हिब्रू में डीओपी में प्रवेश :

इन भाषाओं में डीओपी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट संबंधित भाषाओं में सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी (सीओपी) में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

ध्यानाकर्षण: उम्मीदवारों को उपर्युक्त भाषाओं में डीओपी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पृथक रूप से आवेदन करना अनिवार्य है, अन्यथा केवल सीओपी में प्राप्त मेरिट के आधार पर उन्हें प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की स्वीकृत प्रवेश नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक श्रेणी, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए पृथक-पृथक योग्यता सूची तैयार की जाती है।

3.2 (i) सी.बी.टी. और मौखिक परीक्षा का वेटेज निम्नानुसार दिया गया है:

पाठ्यक्रम	**सीबीटी**	**मौखिक परीक्षा**
उर्दू में मास मीडिया में प्रवीणता प्रमाणपत्र और एडवांस डिप्लोमा (अंशकालिक)	100%	लागू नहीं
बी.ए. (ऑनर्स) प्रथम वर्ष और बी.एससी. पाठ्यक्रम		
एमए/एमएससी/एमसीए		
एम.टेक, एमपीएच., बिग डेटा एनालिटिक्स में पीजीडी		
यूजीसी-नेट तथा संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट स्कोर के माध्यम से पीएच.डी.	#70%	30%
जेआरएफ के माध्यम से पीएच.डी.	लागू नहीं	100%
गेट के माध्यम से पीएच.डी.	##70%	30%
प्रवीणता डिप्लोमा (अंशकालिक)	अर्हक परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट	

3.2 (ii) एमबीए, बी.टेक परीक्षा के लिए वेटेज निम्नानुसार दिया गया है:

पाठ्यक्रम	**सीबीटी**	**जीडी + साक्षात्कार**
एमबीए	###70% (कैट स्कोर)	10%+20%
बीटेक	(JoSAA/DASA)के माध्यम से	
स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एम.टेक.	सीसीएमटी के माध्यम से	

3.3: पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने के लिए उम्मीदवारों का जून 2024 से आयोजित यूजीसी/सीएसआईआर की नेट परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वैध गेट स्कोर आवश्यक है। यदि कोई उम्मीदवार मौखिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होता/होती है, तो उसे अयोग्य माना जाएगा तथा उस पर संबंधित पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

** योग्यता सूची (मेरिट सूची) कुल सीयूईटी सीबीटी अंकों को 100 अंकों में परिवर्तित कर तैयार की जाती है।

योग्यता सूची (मेरिट सूची) परसेंटाइल को 70 अंकों में परिवर्तित कर तैयार की जाती है।

योग्यता सूची (मेरिट सूची) वैध गेट स्कोर को 70 अंकों में परिवर्तित कर तैयार की जाती है।

योग्यता सूची (मेरिट सूची) कैट स्कोर को 70 अंकों में परिवर्तित कर तैयार की जाती है।

3.4 **पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार होगी:**

परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किये जाने वाले छात्रों की संख्या मेरिट के क्रम में निम्नानुसार होगी:

(1) सामान्य श्रेणी के लिए	इंटेक का 8 गुना
(2) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए	इंटेक का 10 गुना
(3) पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए	10 गुना – उपलब्धता अनुसार

उपरोक्त बिंदु (1) के संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है**,** तो ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भी बिंदु (1) में दिए गए सीट मैट्रिक्स के अनुसार मौखिक-परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए बुलाया जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार मौखिक-परीक्षा में उपस्थित नहीं होता/होती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा/ तथा उस पर संबंधित पीएच.डी. अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4. डेप्रिविएशन अंक:

वंचना अंक (Deprivation Points) (**सीबीटी स्कोर/100 अंकों के पैमाने पर अधिकतम 12 अंकों तक**) निम्नलिखित श्रेणियों के उम्मीदवारों को प्रदान किए जाते हैं:

वंचना अंकों का लाभ केवल यूजी/पीजी/सीओपी/एडीओपी पाठ्यक्रमों के लिए दिया जाएगा, जबकि बी.टेक., एम.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी), एम.एससी. (कम्प्यूटेशनल एंड इंटिग्रेटिव साइंसेज़ – जीएटी-बी के माध्यम से), एमबीए, डीओपी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एम.टेक., तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रमों पर यह लागू नहीं होगा।

4.1 **उम्मीदवार को प्रत्येक शैक्षिक स्तर के लिए अलग-अलग अंक मिलेंगे, अर्थात् 10वीं /हाईस्कूल/मैट्रिकुलेशन/12वीं स्तर/इंटरमीडिएट और बी.ए./बी.एस.सी., या तो क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 जिले से, जैसा कि नीचे दिया गया है:**

क्वार्टाइल 1 अंक

अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु आवेदन	***10वीं /12वीं**	**स्नातक**
स्नातक	**6**	
स्नातकोत्तर	**3**	**3**

क्वार्टाइल 2 अंक

अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु आवेदन	***10वीं /12वीं**	**स्नातक**
स्नातक	**4**	
स्नातकोत्तर	**2**	**2**

***10वीं और 12 वीं कक्षा के क्वार्टाइल के लिए नोट**

यदि Q1 से 10वीं और Q1 से 12वीं तो Q1 का लाभ
यदि Q1 से 10वीं और Q2 से 12वीं तो Q1 का लाभ
यदि Q2 से 10वीं और Q1 से 12वीं तो Q1 का लाभ
यदि Q2 से 10वीं और Q2 से 12वीं तो Q2 का लाभ

भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित चार मापदंडों का उपयोग करके क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के रूप में प्रत्येक राज्य से तैयार जिलों की सूची इच्छुक उम्मीदवारों की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध है:

i. महिला निरक्षरता का प्रतिशत;
ii. कृषि श्रमिकों का प्रतिशत;
iii. ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, और
iv. ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिनके परिसर में शौचालय नहीं है।

क्वार्टाइल 1 या 2 जिलों (जिन जिलों में उम्मीदवार रहते हैं) से आने वाले उम्मीदवार और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी संबंधित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और/या उसमें शामिल हो रहे हैं, वे भी डेप्रिविएशन अंक पाने के पात्र हैं, जैसा भी मामला हो। उन्हें आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम के अंतर्गत राज्य, जिला और जिला कोड का उल्लेख करना चाहिए। उन्हें आवेदन के संबंधित कॉलम में यह भी इंगित करना चाहिए कि उन्होंने दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और/या उसमें शामिल हो रहे हैं।

4.2 सभी कश्मीरी प्रवासी, अपने कश्मीरी प्रवासी स्थिति को प्रमाणित करने वाले अधिसूचित प्राधिकारियों से पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 05 (पांच) डेप्रिवेशन अंक प्राप्त करने के पात्र हैं।

4.3 सभी महिला/ट्रांसजेंडर उम्मीदवार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डेप्रिवेशन अंक के लिए पात्र हैं:

एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/क्वार्टाइल 1/क्वार्टाइल 2	7 डेप्रिवेशन अंक
अन्य उम्मीदवार (अनारक्षित श्रेणी में नहीं) क्वार्टाइल 1/क्वार्टाइल 2 के अंतर्गत)	5 डेप्रिवेशन अंक

डेप्रिवेशन अंकों का यह लाभ केवल यूजी/पीजी/सीओपी/एडीओपी पाठ्यक्रमों को दिया जाएगा, न कि बी.टेक., एम.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी), एम.एससी. (जीएटी-बी के माध्यम से कम्प्यूटेशनल और इंटिग्रेटिव साइंसेज), एमबीए और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए।

5. अधिसंख्य सीटें

क) रक्षा कार्मिकों की विधवाएँ/आश्रित

विश्वविद्यालय में युद्ध के दौरान या शांति काल में शहीद/विकलांग हुए सशस्त्र सैन्य कार्मिकों की विधवाओं/आश्रितों के लिए 5% अतिरिक्त सीटें आरक्षित हैं। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम में होगा:

प्राथमिकता I : युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाएँ/आश्रित।

प्राथमिकता II : सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए तथा सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हुए रक्षा कार्मिकों के आश्रित।

प्राथमिकता III : रक्षा कार्मिकों की विधवाएं/आश्रित जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो तथा जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई हो।

प्राथमिकता IV : सेवा के दौरान विकलांग हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे तथा सैन्य सेवाकाल के दौरान विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे।

प्राथमिकता V : पूर्व सैनिकों और पुलिस बल/अर्धसैन्य बल के कर्मियों सहित सेवारत कार्मिकों के बच्चे, जो वीरता पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं:

i) परमवीर चक्र
ii) अशोक चक्र
iii) सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक
iv) महावीर चक्र
v) कीर्ति चक्र
vi) उत्तम युद्ध सेवा पदक
vii) वीर चक्र
viii) शौर्य चक्र
ix) युद्ध सेवा पदक
x) वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक
xi) सेना, नौ सेना, वायु सेना पदक
xii) मेंशन इन डिस्पैच
xiii) वीरता के लिए पुलिस पदक

प्राथमिकता VI : पूर्व सैनिकों के बच्चे।

प्राथमिकता VII : निम्नलिखित की पत्नियाँ :

i) रक्षा कार्मिक कार्रवाई में अक्षम हो गए और सेवा से बाहर हो गए।
ii) सेवा के दौरान विकलांग हुए रक्षा कार्मिक तथा सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवा से बाहर किए गए रक्षा कार्मिक

iii) पूर्व सैनिक और सेवारत कार्मिक जो वीरता पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

प्राथमिकता VIII : सेवारत कार्मिकों के बच्चे।

प्राथमिकता IX : सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ।

इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन अंतिम सूची के पश्चात शेष बचे उम्मीदवारों में से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर किया जाएगा।

नोट: पुलिस बल/अर्धसैनिक बल (पूर्व एवं सेवारत) के बच्चे केवल उपरोक्त प्राथमिकता V x) एवं V xiii) के लिए पात्र होंगे।

इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश पाने के इच्छुक आवेदकों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-I) में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:

1. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली
2. सचिव, राज्य जिला सैनिक बोर्ड
3. प्रभारी अधिकारी, अभिलेख कार्यालय
4. गृह मंत्रालय (वीरता पुरस्कार प्राप्त पुलिस कार्मिकों के लिए)।

(रक्षा कर्मियों की विधवाओं/आश्रितों के लिए निर्धारित अधिसंख्य (सुपरन्यूमररी) सीटें यूजी/पीजी/पार्ट-टाइम पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षित हैं, जबकि बी.टेक., एम.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी), एम.एससी. (कम्प्यूटेशनल एंड इंटिग्रेटिव साइंसेज़ – जीएटी-बी के माध्यम से), एमबीए, डीओपी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एम.टेक, तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रमों पर यह लागू नहीं होता है।)

ख) जेएनयू कर्मचारियों के आश्रित (वार्ड्स) (ग्रुप बी, सी और डी)

पाठ्यक्रम	**सीटों की संख्या**
बीए (ऑनर्स) पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष	05
एमए/एमएससी/एमसीए पाठ्यक्रम	03

इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन अंतिम सूची के बाद शेष उम्मीदवारों में से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर किया जाएगा।

ग) <u>जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख से उम्मीदवार</u>

विश्वविद्यालय ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए अधिसंख्य कोटा के अंतर्गत 02 सीटें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 02 सीटों में से 01 सीट अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए तथा 01 सीट पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए आबंटित की जाएगी।

इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन अंतिम सूची के बाद शेष उम्मीदवारों में से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के आधार पर किया जाएगा।

घ) <u>वे उम्मीदवार जिनके माता-पिता दोनों का कोविड-19 महामारी के दौरान देहांत हो गया है:</u>

विश्वविद्यालय ने यूजी पाठ्यक्रम में 05 अधिसंख्य (सुपरन्यूमररी) सीटें प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम सर्टिफिकेट 2021 के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन अंतिम सूची के बाद शेष बचे उम्मीदवारों में से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर किया जाएगा।

(ड.) <u>विदेशी नागरिक:</u>

विश्वविद्यालय प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम (पीएच.डी. पाठ्यक्रम को छोड़कर) में विदेशी नागरिकों के लिए अधिकतम 20% सुपरन्यूमररी (अधिसंख्य) सीटें प्रदान करता है। ये सीटें प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित प्रवेश क्षमता से अतिरिक्त होती हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अधिसंख्य (सुपरन्यूमररी) सीटों का विभाजन 10% इन-एब्सेंसिया और 10% प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया गया है। यदि किसी श्रेणी में 10% सीटों की सीमा रिक्त रह जाती है, तो उसे इन-एब्सेंसिया या प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परस्पर भरा जा सकता है।

विदेशी नागरिकों के लिए अधिसंख्य सीटों के अंतर्गत पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या की सिफारिश प्रत्येक स्कूल/केन्द्र/विशेष केन्द्र द्वारा यूजीसी विनियम, 2022 के अनुसार की जाती है।

नोट: ऊपर किए गए उल्लेखानुसार अधिसंख्य सीटों (क से ड.) में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण सीयूईटी 2025 में ऐसे आवेदकों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) स्कोर के आधार पर किया जाएगा।

6. उम्मीदवारों का चयन:

6.1 प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों तथा विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग योग्यता सूचियां तैयार की जाती हैं।

6.2 विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन प्रवेश परीक्षा और मौखिक परीक्षा (जहां निर्धारित हो) में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता के आधार पर और डेप्रिवेशन अंकों, जहां भी लागू हो, को शामिल करने के बाद किया जाता है। मौखिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवार अध्ययन के उस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं हैं जिसके लिए मौखिक परीक्षा निर्धारित है। आवेदन पत्र में समान स्तर के पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम तीन विषयों तक

वरीयतावार विकल्प देने का प्रावधान किया गया है। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों द्वारा दिए गए वरीयतावार विकल्प को ध्यान में रखा जाता है जैसे (एक उम्मीदवार जो पहली वरीयता की श्रेणी में आने वाले विषय के लिए चुना गया है, उसका उसी स्तर के पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के लिए कोई दावा नहीं होगा जो दूसरी या तीसरी वरीयता आदि जैसा भी मामला हो, की श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उच्च विकल्प में चयनित होता है, तो उसे केवल उसी में प्रवेश दिया जाएगा)।

फ्रीज़/अपग्रेडेशन: फ्रीज़/अपग्रेडेशन नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं: -

1. जिन उम्मीदवारों को उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार प्रवेश का प्रस्ताव दिया गया है, उन्हें अनिवार्य रूप से उस प्रस्ताव को फ्रीज़ करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार/फ्रीज़ नहीं करता है, तो वह प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवार को, यदि कोई हो, आगामी योग्यता सूची/सूचियों में प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. जिन उम्मीदवारों को उनकी द्वितीय अथवा तृतीय वरीयता के अनुसार प्रवेश का प्रस्ताव दिया गया है, उन्हें निम्नानुसार 'फ्रीज़' अथवा 'अपग्रेड' विकल्प में से किसी एक का चयन करना होगा: -

(क) 'फ्रीज़' विकल्प का चयन करने वाले उम्मीदवारों को केवल उसी विषय/अनुशासन में प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा, जिसमें उन्होंने प्रवेश प्रस्ताव को फ्रीज़ किया है। इस स्थिति में आवेदन पत्र में दी गई अन्य वरीयताएँ निरस्त हो जाएँगी तथा उन्हें, यदि कोई हो, आगामी योग्यता सूची/सूचियों में अपग्रेडेशन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) 'अपग्रेड' विकल्प का चयन करने वाले उम्मीदवारों को उस विषय/अनुशासन में प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, तथा साथ ही उन्हें, यदि कोई हो, आगामी योग्यता सूची/सूचियों में उनकी उच्चतर वरीयता के विरुद्ध प्रवेश हेतु भी विचार किया जाएगा।

पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए कुल समेकित अंकों (नेट परसेंटाइल/गेट स्कोर + मौखिक परीक्षा) के समान होने की स्थिति में मेरिट निम्नलिखित क्रम में निर्धारित की जाएगी –

(i) यूजीसी/सीएसआईआर नेट/गेट में अधिक परसेंटाइल/स्कोर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

(ii) यदि इसके बाद भी अंक टाई होते हैं तो अर्हक स्नातकोत्तर उपाधि में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम घोषित हो चुके होंगे, उन्हें उन उम्मीदवारों पर वरीयता दी जाएगी जिनके परिणाम घोषित नहीं हुए हैं।

(iii) यदि इसके बाद भी अंक टाई होते हैं तो स्नातक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त

करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

(iv) यदि इसके बाद भी अंक टाई होते हैं तो 10+2 परीक्षा में प्राप्त अंक मेरिट निर्धारण का आधार होंगे।

(v) जेआरएफ श्रेणी में अंक टाई होने की स्थिति में मेरिट अर्हक स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा यदि भी अंक टाई होते हैं तो ऊपर (iii) एवं (iv) में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

एमए, एमएससी, एमसीए, एमपीएच, एम.टेक, पीजी डिप्लोमा और मास मीडिया पाठ्यक्रमों में एडवांस डिप्लोमा में बंचिंग के मामले में, एनटीए द्वारा आयोजित सीबीटी में प्राप्त उच्च अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और इसके अलावा, यदि आवश्यक हो (टाई के मामले में), अर्हक स्नातक डिग्री में प्राप्त अंकों के अनुसार वरीयता दी जाएगी। आगे टाई के मामले में, 10+2 में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्च अंकों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद भी टाई के मामले में, 10वीं परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक मेरिट निर्धारित करने का आधार होंगे। एमबीए प्रवेश में बंचिंग के मामले में, सबसे पहले कैट प्रतिशत की तुलना की जाएगी और फिर उम्मीदवारों के पिछले अर्हक अंकों की तुलना की जाएगी। जिस उम्मीदवार का परिणाम घोषित किया गया है, उसे उन लोगों पर वरीयता दी जाएगी जिनका परिणाम घोषित नहीं किया गया है।

स्नातक और सीओपी पाठ्यक्रमों में बंचिंग के मामले में, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी **(**एनटीए) द्वारा आयोजित सीबीटी में प्राप्त उच्च अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और इसके अलावा, यदि आवश्यक हो (टाई होने की स्थिति में), योग्यता 10+2 परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार वरीयता दी जाएगी। इसके बाद भी टाई होने की स्थिति में, $10^{वीं}$ कक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्च अंकों पर विचार किया जाएगा। जिस उम्मीदवार का परिणाम घोषित हो चुका है, उसे उन उम्मीदवारों पर वरीयता दी जाएगी जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है।

6.3 चयनित उम्मीदवारों को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद प्रवेश शाखा द्वारा प्रदत्त समय अवधि के भीतर ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपनी सीटें ब्लॉक करनी होंगी। इसके बाद, प्रत्येक पाठ्यक्रम में खाली रह गई सीटों को योग्यता सूची में अगले उम्मीदवारों को अवसर दिया जाएगा ताकि मेरिट के क्रम में शेष सीटों को ब्लॉक किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ई-प्रॉस्पेक्टस में अनुसूची में उल्लिखित समय सीमा पर या उससे पहले प्रवेश बंद होना आवश्यक है, योग्य उम्मीदवारों के लिए शेष समय और रिक्तियों/उपलब्धता की संख्या के आधार पर बैचों में ऐसे प्रस्ताव तदनुसार पेश किए जाएंगे।

कोई भी उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह सीबीटी में न्यूनतम समग्र अंक प्राप्त न कर ले, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

अध्ययन पाठ्यक्रम	न्यूनतम अंक		
	सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	एससी/एसटी एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग
एम.टेक, एमपीएच, पीजीडी, एमए, एमएससी, एमसीए., बी.ए. (ऑनर्स), बी.एससी. पाठ्यक्रम तथा पार्ट टाइम (सीओपी एवं एडीओपी)	30%	27%	25%

6.4 <u>यूजीसी/सीएसआईआर की नेट परीक्षा के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश:</u>

जून 2024 की यूजीसी-नेट तथा संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंतिम योग्यता सूची, नेट परीक्षा में प्राप्त नेट परसेंटाइल तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

<u>गेट स्कोर के माध्यम से:</u>

गेट स्कोर के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंतिम योग्यता सूची, वैध गेट स्कोर तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

<u>जेआरएफ श्रेणी के अंतर्गत:</u>

वैध जेआरएफ प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवारों के लिए जेआरएफ श्रेणी के अंतर्गत पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंतिम योग्यता सूची, मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

जो उम्मीदवार मौखिक परीक्षा (जहां भी निर्धारित हो) में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें उस अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जाएगा जिसके लिए वे मौखिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं।

6.5 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 19.09.2022 के पत्र (एफएक्यू संख्या 13) के संदर्भ में, दिनांक 03.04.2023 की सलाहकार समिति की बैठक में यथा अनुमोदित तथा विद्या परिषद की 162वीं (ए) बैठक में अनुमोदनानुसार, ईडब्ल्यूएस की रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है।

7. आरक्षण:

7.1 सीटों का आरक्षण: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ओबीसी के लिए 27% सीटें, एससी के लिए 15% सीटें, एसटी

के लिए 7.5% सीटें और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5% सीटें (न्यूनतम विकलांगता 40% की सीमा तक के साथ)।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/नीति के अनुसार, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5% सीटों का आरक्षण क्षैतिज रूप से किया जाएगा।

क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उन्हें अध्ययन के विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण मिलेगा।

ख) पीडब्ल्यूडी श्रेणी के आरक्षण को उन सीटों के समूह में लागू/संचालित किया जाएगा, जहाँ सीटें 10 से कम हैं और ऐसी सीटों को क्लब करके इसे फ्लोटिंग रखा जाएगा, ताकि पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए कम से कम 1 सीट सुनिश्चित की जा सके। जहाँ भी इन 10 सीटों के भीतर योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हैं और उनकी श्रेणी को उस संबंधित श्रेणी में समायोजित किया जाएगा, जिससे वे संबंधित हैं। इसके अलावा, यदि अभी भी सीटों की संख्या 5% से कम है, तो इन सीटों को योग्य पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों में से भरने का निर्णय, जहाँ भी उपलब्ध हो, कुलगुरू के पास होगा, ताकि विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुपालन में पीडब्ल्यूडी श्रेणी में अधिकतम सीटों को भरना सुनिश्चित किया जा सके।

नोट: दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, पहले केंद्र-वार और फिर स्कूल/विशेष केंद्र-वार समूहीकरण किया जाएगा। यदि सीटें फिर भी खाली रहती हैं, तो विश्वविद्यालय स्तर पर समूहीकरण किया जाएगा।

7.2 **<u>एम.टेक, एमपीएच, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स, अंडर ग्रेजुएट और पार्ट-टाइम पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छूट :</u> सभी ओबीसी श्रेणी (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवार ओपन श्रेणी के संबंध में अर्हक परीक्षा में अंकों के प्रतिशत में 10% छूट के पात्र हैं। एससी/एसटी और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार जिन्होंने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की है, चाहे उनके अंकों का प्रतिशत कुछ भी हो, वे जेएन्यू में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। *बी.टेक* और एमबीए के लिए, उक्त पाठ्यक्रमों के मानदंड ई-प्रॉस्पेक्टस के संबंधित अनुभाग में अलग से दिए गए हैं।**

7.3 **<u>पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छूट</u>**

यूजीसी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों के लिए मास्टर डिग्री/एम.फिल में 55% से 50% तक 5% अंकों की छूट या ग्रेड में समकक्ष छूट दी जा सकती है। यूजीसी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों के लिए 4 वर्षीय/8 सेमेस्टर स्नातक डिग्री में 75% से 70% तक 5% अंकों की छूट या ग्रेड में समकक्ष छूट दी जा सकती है।

7.4 सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को अपने दावों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7.5 दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार अपनी शारीरिक विकलांगता की सीमा को दर्शाते हुए प्राधिकृत चिकित्सकों/अस्पतालों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उम्मीदवार को लाभ प्रदान किए जाने से पहले विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता के प्रतिशत की विधिवत् पुष्टि/अनुशंसा की जाती है।

7.6 एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उन्हें आरक्षित कोटे के तहत नहीं गिना जाता है। जिन पाठ्यक्रमों में मौखिक परीक्षा निर्धारित है, उनमें एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस और सामान्य श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को उस चरण में उनकी संबंधित श्रेणी के तहत मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, अंतिम मेरिट में, अपनी योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए।

7.7 विश्वविद्यालय प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम (पीएचडी पाठ्यक्रम को छोड़कर) में 20% (अतिरिक्त) सीटें विदेशी नागरिकों को प्रदान करता है। ये सीटें प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित प्रवेश से अतिरिक्त हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटों का विभाजन अनुपस्थिति के तहत 10% और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 10% है। यदि किसी विभाजन के संबंध में 10% सीटों की सीमा खाली रहती है, तो इसे इसके विपरीत अनुपस्थिति या प्रवेश परीक्षा से भरा जा सकता है।

यूजीसी विनियम 2022 के अनुसार विदेशी नागरिकों के लिए सुपरन्यूमररी सीटों के अंतर्गत पीएच.डी. हेतु प्रवेश क्षमता, प्रत्येक स्कूल/सेंटर/विशेष सेंटर द्वारा अनुशंसित की जाती है।

8. कामकाजी उम्मीदवारों के लिए प्रवेश:

विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार, कामकाजी और प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों को जेएनयू में किसी भी पाठ्यक्रम (पीएचडी सहित) में प्रवेश लेने से पहले अवकाश स्वीकृति आदेश प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9. <u>जेआरएफ धारकों का पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश:</u>

केवल वे ही उम्मीदवार जेआरएफ के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जो संबंधित स्कूल/सेंटर/विशेष सेंटर द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, जिनका उल्लेख ई-प्रॉस्पेक्टस में प्रत्येक पाठ्यक्रम के समक्ष किया गया है, तथा जिन्होंने निम्नलिखित में से किसी एक में योग्यता प्राप्त की हो –

(i) ई-प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित संबंधित नेट विषयों में यूजीसी/सीएसआईआर की जूनियर रिसर्च फेलोशिप

अथवा

(ii) संबंधित विषयों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर), डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी) तथा नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स (एनबीएचएम) की जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षाएँ।

ऐसे पात्र उम्मीदवारों को जेआरएफ श्रेणी हेतु निर्धारित जेआरएफ प्रवेश क्षमता के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पृथक रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रवेश हेतु किसी भी ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को 100% वेटेज के साथ मौखिक परीक्षा में शामिल होना होगा तथा उनका चयन पूर्णतः मौखिक परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि सीएसआईआर/यूजीसी परीक्षा में "लेक्चरशिप/असिस्टेंट प्रोफेसरशिप" (जेआरएफ के बिना) प्राप्त करने वाले उम्मीदवार तथा किसी अन्य फेलोशिप जैसे नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट (एनएफएससी), नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल ट्राइब (एनएफएसटी), नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस (एनएफओबीसी), नेशनल फेलोशिप फॉर पीडब्ल्यूडी (एनएफपीडब्ल्यूडी), जो लेक्चरशिप/असिस्टेंट प्रोफेसरशिप (जेआरएफ के बिना) के आधार पर प्राप्त की गई हों, पात्र नहीं होंगे। डीएसटी इंस्पायर फेलो भी जेआरएफ श्रेणी के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय उनका जेआरएफ प्रमाणपत्र वैध हो। यदि दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय जेआरएफ प्रमाणपत्र वैध नहीं पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

10. <u>स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में गेट स्कोर के आधार पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश</u>

केवल वे उम्मीदवार पात्र होंगे, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के पीएच.डी. पाठ्यक्रमों (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हों तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध गेट स्कोर रखते हों। योग्यता सूची तैयार करने हेतु गेट स्कोर तथा मौखिक-परीक्षा का वेटेज क्रमशः 70% तथा 30% होगा।

11. विदेशी भाषाओं में बीए (ऑनर्स) में प्रवेश

भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान में के बी.ए.(ऑनर्स) पाठ्यक्रम में 80% सीटें उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने प्रवेश वर्ष अथवा उससे पूर्व वर्ष में सीनियर

सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा वे निर्धारित न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हों। **ये 80% सीटें कोड-I श्रेणी के अंतर्गत आएँगी।** शेष 20% सीटें बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उन उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी, जो अन्यथा निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हों। **ये सीटें कोड-II श्रेणी के अंतर्गत आएँगी।**

12. अंशकालिक पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय निम्नलिखित एक वर्षीय अध्ययन पाठ्यक्रम ऑफर करता है:

क) उर्दू में मास मीडिया में प्रवीणता का एडवांस डिप्लोमा

ख) इंडोनेशियाई, मंगोलियन, उज्बेक, पाली और हिब्रू भाषा में प्रवीणता का डिप्लोमा

ग) मंगोलियन, पश्तो, उज्बेक, भाषा इंडोनेशियाई, उर्दू, पाली और संस्कृत कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान, संस्कृत, योग दर्शन, वैदिक संस्कृति, नाट्य शास्त्र, हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस, भारतीय दर्शन, और हिब्रू में दक्षता का प्रमाण पत्र।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता है:

क) उर्दू में मास मीडिया में एडवांस डिप्लोमा (एडीओपी) और मंगोलियन, पश्तो, उज्बेक, भाषा इंडोनेशिया, उर्दू, हिब्रू, पाली, संस्कृत कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान पाठ्यक्रम, संस्कृत, योग दर्शन, नाट्य शास्त्र, हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस, भारतीय दर्शन, और वैदिक संस्कृति में प्रवीणता प्रमाणपत्र (सीओपी) में प्रवेश सीबीटी परीक्षाओं में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

ख) इंडोनेशिया, उज्बेक, हिब्रू, मंगोलियन और पाली भाषा में डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी (डीओपी) में प्रवेश संबंधित भाषाओं में सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी में प्रदर्शन के अनुसार योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

13. विदेशी नागरिक:

क. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले विदेशी नागरिक

1. <u>स्नातक (यूजी) तथा स्नातकोत्तर (पीजी)</u>

प्रत्येक वर्ष विदेशी नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है:

(क) स्व-वित्तपोषित छात्र

I. प्रवेश परीक्षा के माध्यम से

II. 'इन एब्सेंसिया' के माध्यम से

(ख) आईसीसीआर के माध्यम से संचालित भारत सरकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान फेलोशिप पाठ्यक्रम के अंतर्गत।

(ग) ऑडिट/क्रेडिट पाठ्यक्रमों में अनियत छात्रों के रूप में (इनमें कोई डिग्री नहीं दी जाती है)

उपरोक्त (क) और (ख) के अंतर्गत किसी भी श्रेणी में प्रवेश के इच्छुक विदेशी नागरिकों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

(क) स्व-वित्तपोषित छात्र

i) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से (उन विदेशी नागरिकों के लिए जो भारत में हैं)

भारत में उपस्थित सभी विदेशी नागरिकों को प्रवेश परीक्षा और/अथवा मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा, बशर्ते वे भारतीय विद्यार्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हों तथा उनकी योग्यता की समकक्षता मान्य हो और वे स्टूडेंट वीज़ा/रिसर्च वीज़ा, यथास्थिति, प्रस्तुत करें। उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

ii) 'इन एब्सेंसिया' श्रेणी के माध्यम से:

अपने-अपने देशों से आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को "इन एब्सेंसिया" श्रेणी के तहत माना जाएगा और उनके लिए एक अलग आवेदन पत्र है, जिसे जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्हें आवेदन पत्र (प्रमाणपत्रों आदि की प्रतियों के साथ, जिसके आधार पर उन्होंने प्रवेश मांगा है और प्रोसेसिंग फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट डाक के माध्यम से अनुभाग अधिकारी (प्रवेश-II), कमरा नंबर 20, प्रशासनिक ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली - 110067 को भेजना होगा। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र को भरकर उसके साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पक्ष में नई दिल्ली में देय यूएस डॉलर 50 या समतुल्य भारतीय राशि (जो आवेदन पत्र पर उल्लिखित है) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। कृपया आवेदन प्रपत्र की स्कैन की गई प्रति, पात्रता के समर्थन में संबंधित दस्तावेज तथा शुल्क भुगतान के प्रमाण की स्कैन प्रति (admission_foreign@mail.jnu.ac.in) पर भी भेजें।

नोट: प्रवेश परीक्षा के दौरान भारत में पहले से उपस्थित उम्मीदवारों को भारत सरकार के सांस्कृतिक विनिमय पाठ्यक्रम/इन एब्सेंसिया श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा।

(ख) भारत सरकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान पाठ्यक्रम के अंतर्गत:

भारत सरकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान फेलोशिप पाठ्यक्रम के तहत प्रवेश के इच्छुक छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), आज़ाद भवन, आईपी स्टेट, नई दिल्ली- 110001, भारत से संपर्क करना होगा। ऐसे विदेशी राष्ट्रीयता वाले उम्मीदवारों के चयन की स्थिति में परिषद को सूचित किया जाएगा।

(ग) ऑडिट/क्रेडिट पाठ्यक्रम(ओं) में अनियत छात्र:

विदेशी नागरिक किसी भी अध्ययन केंद्र/संस्थान में ऑडिट/क्रेडिट पाठ्यक्रम (मों) में एक या दो सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ऑडिट में प्रवेश दिया जाता है तो पाठ्यक्रम के संकाय प्रभारी द्वारा प्रतिभागिता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और यदि क्रेडिट में प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा सत्रांत ग्रेड शीट जारी की जाएगी, बशर्ते कि वे सेमेस्टर कक्षाओं में भाग लेंगे और सत्रांत परीक्षा में शामिल होंगे।

2. पीएच.डी. पाठ्यक्रम:

प्रत्येक वर्ष विदेशी नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है: -

(क) स्व-वित्तपोषित विद्यार्थी
(ख) भारत सरकार के सांस्कृतिक विनिमय फेलोशिप पाठ्यक्रम के अंतर्गत

उपरोक्त (क) तथा (ख) श्रेणियों के अंतर्गत प्रवेश पाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

(क) स्व-वित्तपोषित विद्यार्थी

विदेशी नागरिक पृथक आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसे जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्हें आवेदन प्रपत्र (उन प्रमाणपत्रों आदि की प्रतियों सहित, जिनके आधार पर वे प्रवेश पाना चाहते हैं) डाक/स्वयं के माध्यम से अनुभाग अधिकारी (प्रवेश-II), कक्ष संख्या 20, प्रशासनिक ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067 को भेजना होगा। आवेदन प्रपत्र की प्रक्रिया शुल्क के रूप में यूएस $50 का बैंक ड्राफ्ट, जो "जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय" के पक्ष में "नई दिल्ली" में देय हो, भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। कृपया आवेदन प्रपत्र की स्कैन की गई प्रति पात्रता के समर्थन में संबंधित दस्तावेज तथा शुल्क भुगतान के प्रमाण की स्कैन प्रति admission_foreign[at]mail[dot]jnu[dot]ac[dot]in पर भी भेजें।

उम्मीदवार पीएच.डी. पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करने से पूर्व ई-प्रॉस्पेक्टस में दी गई सीट उपलब्धता/प्रवेश क्षमता अवश्य देख लें।

(ख) भारत सरकार के सांस्कृतिक विनिमय पाठ्यक्रम के अंतर्गत:

भारत सरकार के सांस्कृतिक विनिमय फेलोशिप पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (आईसीसीआर), आज़ाद भवन, आई.पी. स्टेट, नई दिल्ली-110001, भारत से संपर्क करना होगा। उनके चयन की स्थिति में परिषद को उनके चयन के संबंध में सूचित किया जाएगा।

ख. चयन

चयन की स्थिति में उम्मीदवारों को उनके चयन के बारे में सूचित किया जाएगा तथा उनका प्रवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: -

1. विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उनकी योग्यता की समतुल्यता।
2. भारत सरकार की संशोधित वीज़ा नीति के अनुसार छात्र-वीज़ा/शोध वीज़ा (जैसा भी मामला हो) प्रस्तुत करना होगा तथा सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट की फोटो प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
3. सभी मूल शैक्षणिक दस्तावेज
4. स्वस्थता प्रमाणपत्र
5. 1.00 लाख रुपये का बीमा (न्यूनतम)

ग. शिक्षण शुल्क

एब्सेंसिया के आधार पर, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अध्ययन के विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले विदेशी छात्रों और कैजुअल छात्रों को निम्नलिखित दरों के अनुसार अमेरिकी डॉलर में या प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार भारतीय मुद्रा में शुल्क और आकस्मिक प्रभार का भुगतान करना आवश्यक है:

क) विज्ञान विषयों के लिए

	सार्क देशों के लिए	अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका देशों के लिए	पश्चिम एशिया देशों के लिए	अन्य देशों के लिए
पंजीकरण शुल्क केवल) (एक बार	यूएस$500	यूएस$500	यूएस$500	यूएस$500
शिक्षण शुल्क	यूएस$300 प्रति सेमेस्टर	यूएस$400 प्रति सेमेस्टर	यूएस$600 प्रति सेमेस्टर	यूएस$1250 प्रति सेमेस्टर

ख) मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए

	सार्क देशों के लिए	अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका देशों के लिए	पश्चिम एशिया देशों के लिए	अन्य देशों के लिए

पंजीकरण शुल्क केवल) (एक बार	यूएस$500	यूएस$500	यूएस$500	यूएस$500
शिक्षण शुल्क	यूएस$200 प्रति सेमेस्टर	यूएस$300 प्रति सेमेस्टर	यूएस$500 प्रति सेमेस्टर	यूएस$1000 प्रति सेमेस्टर

तिब्बती विद्यार्थियों से भारतीय विद्यार्थियों के समान शुल्क लिया जाएगा।

नोटः

(i) स्व-वित्तपोषित छात्रों के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को अपने आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते आदि का विवरण तथा अपने संबंधित बैंकरों से इस आशय का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है कि उनके बैंक खाते में पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान भारत में अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(ii) भारतीय नागरिक, जिनकी प्रवेश हेतु अर्हक परीक्षा के प्रमाणपत्र विदेश से प्राप्त हुए हैं, उन देशों में निवास करने वालों को छोड़कर जहाँ प्रवेश परीक्षा केंद्र उपलब्ध हैं, यूजी तथा पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु "इन-एब्सेंसिया" श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाते हैं, क्योंकि वे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएँगे। उनके लिए शिक्षण शुल्क अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के समान होगा (वर्तमान शुल्क संरचना ऊपर बिंदु 'सी' शिक्षण शुल्क में देखी जा सकती है)।

(iii) भारतीय नागरिक, जो सरकारी कार्य पर विदेश में पदस्थ भारतीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रित हैं, यूजी तथा पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु "इन-एब्सेंसिया" श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों पर भारतीय विद्यार्थियों हेतु लागू शुल्क संरचना लागू होगी, बशर्ते वे उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, तथा उन्हें प्रवेश के समय केवल एक बार यूएस $500 पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से जमा करना होगा।

(iv) जेएनयू में प्रवेश पाने वाले विदेशी नागरिकों को चिकित्सा बीमा करवाना अनिवार्य है।

(v) विदेशी नागरिकों से सेमेस्टर शुल्क या तो विदेशी मुद्रा में स्वीकार किया जाता है, अर्थात् अमेरिकी डॉलर में या समकक्ष भारतीय रुपये में। विदेशी नागरिकों से शुल्क स्वीकार करने के लिए विनिमय दर को प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीकरण के पहले दिन प्रचलित खरीद दर के रूप में स्वीकार किया गया है। विश्वविद्यालय की वित्त शाखा प्रत्येक सेमेस्टर के लिए लागू अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपये में बदलने की दर को अधिसूचित करती है। यदि कोई रिफंड है, तो वह भारतीय मुद्रा में होगा। तथापि, इस मामले में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

प्रवेश प्रक्रिया

1 **प्रशासनिक कार्य:**

प्रवेश से संबंधित प्रशासनिक कार्य निदेशक(प्रवेश) कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।

2 **प्रवेश परीक्षा**

2.1 जेएनयू/एनटीए वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवारों से इस अवधि के दौरान विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

कोई उम्मीदवार जो किसी एक विशेष भाषा/विषय में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लेता/लेती है तो उसे उसी स्तर के पाठ्यक्रम (भाषा/विषय) में दोबारा प्रवेश नहीं मिल सकता। उम्मीदवार को दूसरी भाषा/विषय में प्रवेश पाने के लिए एक और मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा, जो उम्मीदवार पहले दो मौकों में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहता है, उसे किसी भी परिस्थिति में उसी भाषा/विषय में तीसरी बार प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जा रहे अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। (प्राधिकरण दिनांक 21.10.2011 की 130 $^{वीं}$ बैठक के एसी संकल्प संख्या 9 के अनुसार) एक ही विषय में उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद निम्न अध्ययन पाठ्यक्रम में रिवर्स प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.2 उम्मीदवार एक ही स्तर के पाठ्यक्रम यानी सीओपी या बीए (ऑनर्स)/बीएससी-एमएससी एकीकृत पाठ्यक्रम या एमए/एमएससी/एमसीए या एमटेक/एमपीएच/पीजीडी या पीएचडी के लिए एक ही आवेदन पत्र में अधिकतम तीन अध्ययन क्षेत्र/भाषाएं चुन सकते हैं और उन्हें अलग से आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार अध्ययन के एक ही स्तर के पाठ्यक्रम के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है, तो उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

2.3 भारत सरकार के नियमानुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रलेखक (स्क्राइब) उपलब्ध कराए जाएंगे।

3. **प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता आवश्यकताएं:**

विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सभी उम्मीदवारों के लिए पात्रता आवश्यकताएँ जेएनयू ई-प्रॉस्पेक्टस में दी गई हैं।

4. **प्रवेश सीट सं.:**

4.1 प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता संबंधित सेंटरों/स्कूलों की अनुशंसा के अनुसार ई-प्रॉस्पेक्टस में दी गई है, जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

4.2 इन-एब्सेंसिया श्रेणी तथा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिकों की प्रवेश क्षमता भी प्रत्येक सेंटर/स्कूल की निर्धारित प्रवेश क्षमता (पीएच.डी. पाठ्यक्रम को छोड़कर) से अतिरिक्त होगी। ऐसी सुपरन्यूमररी सीटें सामान्यतः कुल प्रवेश क्षमता का 20%

होती हैं। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए सुपरन्यूमररी सीटों का विभाजन 10% इन-एब्सेंसिया तथा 10% प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। यदि किसी श्रेणी में 10% सीटों की सीमा रिक्त रह जाती है, तो उन्हें आवश्यकता अनुसार इन-एब्सेंसिया अथवा प्रवेश परीक्षा श्रेणी से परस्पर भरा जा सकता है।

विदेशी नागरिकों के लिए सुपरन्यूमररी सीटों के अंतर्गत पीएच.डी. की प्रवेश क्षमता, यूजीसी विनियम 2022 के अनुसार प्रत्येक स्कूल/सेंटर/विशेष सेंटर द्वारा अनुशंसित की जाती है।

5. अर्हक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड:

वे उम्मीदवार, जिन्हें किसी विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता के लिए संबंधित अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होना शेष है, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र माने जाएँगे। तथापि, उनके चयन की स्थिति में उन्हें निर्धारित अर्हक परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करने तथा अर्हक परीक्षा की अंतिम अंकतालिका सहित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

6. पंजीकरण

6.1 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों का पंजीकरण प्रवेश सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित तथा विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

6.2 प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के दौरान प्रवेश के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार अंतिम चयन किया जाएगा।

6.3 यदि किसी उम्मीदवार की पात्रता में कोई विसंगति पाई जाती है तो विश्वविद्यालय के पास उसका प्रवेश रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6.4 किसी भी विसंगति के मामले में, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

6.5 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि) विनियम, 2022 के अनुपालन में जेएनयू पीएच.डी. अध्यादेश 2022 द्वारा विनियमित होगा।